तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील डिक्री/टीए/142/2004/सीकर कृष्णा देवी बनाम महावीर व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.12.19	**खण्डपीठ** **श्री सुनील कुमार शर्मा, सदस्य** **श्री रामनिवास जाट, सदस्य** **<u>उपस्थित</u>** श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता अपीलांट श्री श्याम बाबू पारीक, अधिवक्ता रेस्पो0 **<u>निर्णय</u>** यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अंतर्गत न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23-12-2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी/अपीलांटस ने प्रतिवादी/रेस्पो0 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि विवादित भूमि ख0न0 1372/4 रकबा 3.79 है0 की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 6 रामजीलाल के नाम दर्ज है। वादीगण प्रतिवादी संख्या 6 के वारिसान है। प्रतिवादी संख्या 6 रामजीलाल के मानसिक रूप से अस्वस्थ्य होने के कारण प्रतिवादीगण ने एक विक्रय पत्र अपने स्वयं के नाम पंजीयन करवा लिया। प्रतिवादीगण द्वारा फर्जी विक्रय पत्र के आधार पर खातेदारी दर्ज करवाने का प्रयास किया जा रहा है। अतः प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। विचारण न्यायालय ने प्रतिवादीगण के अनुपस्थित रहने पर व वादीगण की साक्ष्य प्राप्त कर अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 16.04.2003 से वादीगण का वाद खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 16.04. 2003 के विरूद्ध अपीलांट/वादीगण ने प्रथम अपील भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, सीकर के समक्ष प्रस्तुत की जिसे अपील अधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 23.	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील डिक्री/टीए/142/2004/सीकर कृष्णा देवी बनाम महावीर व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	12.2003 से खारिज कर दी। अपीलीय अधिकारी के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 23.12..2003 के विरूद्ध यह द्वितीय अपील मंडल में प्रस्तुत की गयी है। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस अपील में सुनी गयी । योग्य अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उनका कथन है कि अपीलांट के पिता रामजीलाल को उक्त भूमि वर्ष 1966 में परिवार को देखते हुये आवंटित की गयी थी इसलिए उक्त आराजी में परिवार के सदस्यों का भी हक बनता है। रामजी लाल अकेले उक्त भूमि का विक्रय नहीं कर सकता है। विद्वान अभिभाषक ने आगे तर्क दिया कि प्रतिवादीगण के पक्ष में निष्पादित किया गया तथकथित विक्रय पत्र प्रथमदृष्टया ही अवैध है एवं बिना प्रतिफल में अदायगी का साबित है जिसमें मात्र 5000/– रूपये विक्रय राशि अदा किया जाना अंकित है जबकि उक्त आराजी को पंजीबद्ध करवाने में ही लगभग 20,000/– रूपये से अधिक के स्टाम्प पेपर लगे हुये है। उक्त भूमि के विक्रय के आधार पर नामांतरकरण हेतु ग्राम पंचायत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो फर्जी विक्रय पत्र मानते हुये निरस्त कर दिया गया। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया। विद्वान अभिभाषक रेस्पों0 ने अपनी बहस में तर्क दिया कि वादी/अपीलांट विवादित आराजी के न तो टेनेन्ट है, न सब टेनेन्ट और न ही को–टेनेन्ट है। रेस्पो0 संख्या 6 रामजीलाल	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील डिक्री/टीए/142/2004/सीकर कृष्णा देवी बनाम महावीर व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विवादित आराजी का खातेदार है। यह उसकी स्वअर्जित भूमि है जो आवंटन में उसे प्राप्त हुई है। पिता के जीवित रहते उसकी स्वअर्जित सम्पत्ति मं पुत्रों को कोई हक प्राप्त नहीं होता है। विचारण न्यायालय में वादी/अपीलांट द्वारा दावा साबित नहीं किया गया था। वादी/अपीलांट ने विक्रय पत्र को प्रभाव शून्य घोषित करवाने हेतु किसी भी सिविल न्यायालय में उसे चुनौती नहीं दी है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने निवेदन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे। हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली व राजस्व रिकार्ड का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली, मूल वादपत्र एवं राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त भूमि अकेले प्रतिवादी संख्या 6 रामजीलाल को भूमिहीन कृषक मान कर आवंटित की गयी थी। यह आवंटित भूमि उसकी स्वअर्जित भूमि थी जिसे पैतृक भूमि नहीं माना जा सकता है। इस स्थिति में इस स्वअर्जित भूमि में वादी/अपीलांट का कोई पुश्तैनी अधिकार होना प्रमाणित नहीं होता है। वादग्रस्त भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से विक्रय की गयी है और इस विक्रय पत्र को किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती देकर निरस्त भी नहीं करवाया गया है। अतः वादग्रस्त भूमियों का केता एक सद्भावी केता होना प्रमाणित होता है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने समवर्ती निष्कर्ष व निर्णय पारित किये है जिसमें कोई विधिक त्रुटि या अनियमितता किया जाना साबित नहीं होता है। अतः हम अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप करना उचित भी नहीं समझते है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील डिक्री/टीए/142/2004/सीकर कृष्णा देवी बनाम महावीर व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	परिणामतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से इसी स्तर पर खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय क्रमशः दिनांक 23.12.2003 व 16.04.2003 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(रामनिवास जाट)** **(सुनील कुमार शर्मा)** **सदस्य** **सदस्य**	